ज्ञा0 – 1/सा0सु0–बजट–03/2010 स.क.–

बिहार सरकार

सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय

(समाज कल्याण विभाग)

सेवा में,

महालेखाकार

वीरचन्द पटेल पथ,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :–

विषय–वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्य योजनान्तर्गत जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों द्वारा विकलांगजनों के पुनर्वास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु रु0 24.00 (चौबीस) लाख मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्य योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय के अधीन भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुदानित जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से विकलांगजनों के पुनर्वास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु कुल रु0 24.00 (चौबीस) लाख मात्र के व्यय की स्वीकृति संलग्न अनुसूची के अनुरूप प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि की स्वीकृति इस आशय के साथ प्रदान की जाती है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय जिलों द्वारा समर्पित परियोजना प्रस्ताव के आलोक में आवंटन निर्गत करेंगे। आवंटन निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय होंगे।

3 राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग होंगे तथा इसके नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय हैं।

4. कुल भारित व्यय की राशि मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–02–समाज कल्याण राज्य योजना, लघु शीर्ष–101–विकलांगों का कल्याण, माँग सं0–51 उप शीर्ष–0109–विकलांगों के लिए कर्मशाला के अन्तर्गत विकलनीय है। इस योजना का विपत्र कोड–**P - 2235021010109** है। इस योजना का स्कीम कोड–WE[illegible]-5479 है।

5. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998, 2540 दिनांक–17.04.1999 एवं समय–समय पर निर्गत निदेशों/परिपत्रों के अनुसार की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह0/–

(राम लखन रविदास)
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग, बिहार।

ज्ञापांक–1/सा0सु0–बजट–03/2010 स.क.–/228 पटना, दिनांक–21/6/10

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग/योजना विभाग/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवम् निःशक्तता निदेशालय/संबंधित सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/बजट पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा एवम् निःशक्तता निदेशालय को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17-06-10

(राम लखन रविदास)
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग, बिहार।

d/Sanskrit/kamala Nehru/1-2

अनुसूची

विकलांगों की कर्मशाला योजना के अन्तर्गत विकलांग निःशक्तजनों को व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु अनुदेश एवं जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों को स्वीकृत राशि

योजना संबंधी अनुदेश :– व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों के अपने परिसर/अन्य, सरकारी परिसरों में अथवा सक्षम प्राइवेट या अर्द्धसरकारी/सरकारी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से भी जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र द्वारा अनुबंध सेवा के आधार पर संचालित कराया जायगा। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यूनतम तीन माह की अवधि के होंगे। इनमें कम्प्यूटर कार्य–डाटा प्रोसेसिंग, डेस्क टॉप प्रेजेन्टेशन (डी0टी0पी0), स्क्रीन प्रिंटिंग, इलेक्ट्रीक एवं इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों की रिपेयरिंग एवं अनुरक्षण इत्यादि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/विषयों में प्रशिक्षण दिया जायगा।

इस योजना के कार्यान्वयन में निम्नांकित बिन्दुओं के आलोक में कार्रवाई अपेक्षित है :–

1. आवेदक की निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
2. इस योजना के तहत् निःशक्त आवेदक की न्यूनतम आयु 18–45 वर्ष की होनी चाहिए।
3. लाभार्थियों के चयन हेतु जिला स्तर पर दैनिक समाचार पत्रों में योजना संबंधी विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन प्राप्त किया जायगा।
4. लाभार्थियों के चयन हेतु जिलाधिकारी द्वारा गठित निम्न समिति के द्वारा किया जायगा:–
   - (i) सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग (अध्यक्ष)
   - (ii) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (सदस्य) एवं
   - (iii) जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र के एक प्रतिनिधि (सदस्य)
5. लाभार्थियों के चयन में प्राथमिकता का निर्धारण निम्नवत् किया जायगा:–
   - (i) बी0 पी0 एल0
   - (ii) अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महादलित
   - (iii) महिला

(iv) विकलांगता का प्रतिशत

(v) वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम

6. कुल आवंटित राशि का 70 प्रतिशत व्यय प्रशिक्षण मद में एवं 30 प्रतिशत व्यय प्रासंगिक प्रशासनिक कार्यों पर किया जायगा।

7. निम्नांकित तालिका के अनुसार 25–25 निःशक्तजनों (अर्थात कुल 25 X 2 X 5 = 250) के दो सत्र प्रशिक्षण हेतु राशि की स्वीकृति दी जाती है:–

क्रमांक	जिला का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3
1	भोजपुर	4.8
2	सारण	4.8
3	समस्तीपुर	4.8
4	किशनगंज	4.8
5	कटिहार	4.8
	कुल :–	24.00

(रू0 चौबीस लाख) मात्र।

8. इस योजना के सफल संचालन के निमित्त जिला पदाधिकारी अपने स्तर से आवश्यक व्यावहारिक अनुदेश / व्यवस्था जारी करेंगे।

17.6.10

(रामलखन रविदास)
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग, बिहार।